नाम – डा. प्रदीप कुमार राय
एसोसियेट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग
शेरशाह महिला कॉलेज, सासाराम

विषय – राजनीति शास्त्र ; कक्षा – बी.ए. पार्ट-03 (प्रतिष्ठा)
पेपर – 08. दिनांक – 20.7.20

टॉपिक – कांग्रेस-लीग समझौता या लखनऊ समझौता, 1916 –

मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 से 1910 ई. तक इसकी राजभक्ति ब्रिटिश सरकार के प्रति रही तथा सम्प्रदायवादी संस्था के रूप में इसके द्वारा कार्य किया गया। 1910 ई. के बाद इसका नेतृत्व राष्ट्रवादी युवा मुस्लिम वर्ग के हाथ में आ गया। किन्तु, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिये जाने के कारण तथा महायुद्ध में ब्रिटेन और मुस्लिम राष्ट्र टर्की के परस्पर युद्ध में लिप्त रहने के कारण मुस्लिम लीग का ब्रिटिश राज के प्रति मोह भंग हो गया और 1913 तक इसकी निकटता कांग्रेस की ओर हो गई। महात्मा गांधी और एम. जिन्ना के प्रयत्नों से 1915 ई. में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन बंबई में एक ही दिन बुलाये गये। कांग्रेस और लीग द्वारा एक संयुक्त कमेटी बनाई गई। जिसके द्वारा इन दोनों संस्थाओं के बीच मेल उत्पन्न करने के लिये एक योजना तैयार की गई जिसे 'कांग्रेस लीग योजना' के नाम से जाना जाता है। इस योजना को 1916 ई. के लखनऊ अधिवेशन में दोनों संस्थाओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया था इसलिये इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है।

प्रथम भाग में मुस्लिम-अल्पसंख्यकों की समस्या पर विचार किया गया था एवं दूसरे भाग में प्रस्तावित सुधार थे।

समस्या के अंतर्गत यह कहा गया कि, प्रथम – चुनाव द्वारा मुख्य अल्पमत वाली जातियों के प्रतिनिधित्व का उचित प्रबंध होना चाहिये तथा मुसलमानों का प्रांतीय विधान परिषदों के लिये निर्वाचन विशेष निर्वाचकों द्वारा एक विशेष अनुपात में होना चाहिये।

द्वितीय, ~~प्रस्ताव के अंतर्गत यह कहा गया कि~~ यदि किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव या विधेयक विधान परिषद में रखा जाये जो दूसरे सम्प्रदायों के हितों को प्रभावित करता हो तो उसको पास नहीं किया जायेगा, यदि उस सम्प्रदाय के 3/4 सदस्य उस बिल या प्रस्ताव का विरोध करते हों।

योजना के दूसरे भाग में प्रस्तावित सुधारों के संबंध में अग्र बातें उल्लिखित की गई –

(1.) सरकार के वर्तमान ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन किये जायें। सम्राट की सरकार यह घोषणा करे कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य शीघ्र भारतीयों को स्वशासन प्रदान करना है।

Scanned with CamScanner

इसे इसके आधिराज्यों (Dominions) की तरह साम्राज्य में बराबर का दर्जा दिया जाये।

(2.) केन्द्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के 4/5 सदस्य निर्वाचित और 1/5 सदस्य मनोनीत होने चाहिये।

(3.) केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के कम से कम आधे सदस्य अपनी-अपनी व्यवस्थापिका सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होने चाहिये।

(4.) जब तक परिषदों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग न करें, प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों को उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिये।

(5.) प्रांतों को यथासंभव हो सके, प्रशासन और वित्त के संबंध में केन्द्रीय नियंत्रण से स्वतंत्रता मिलनी चाहिये।

(6.) भारत सरकार कानूनी और शासन संबंधी मामलों में अधिकाधिक सीमा तक भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिये।

(7.) भारत मंत्री की परिषद् को समाप्त किया जाये और भारत मंत्री का वेतन भारतीय कोष के बजाय इंगलैंड के कोष से दिया जाये।

(8.) भारत की सेना के सब पदों को भारतीयों के लिये खोल दिया जाये और उनकी नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के लिये विशेष प्रबंध किये जायें।

(9.) भारत में कार्यपालिका अधिकारियों को न्यायिक अधिकार नहीं होने चाहिये और प्रत्येक प्रांत में अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कर दिये जायें।

कांग्रेस लीग योजना का प्रथम भाग निश्चित रूप से दोषपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिये उनकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसी अनुचित और अराष्ट्रीय मांग स्वीकार कर ली गई थी। डा. ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में, "यह समझौता लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति का प्रारंभ था। दूसरा भाग भी दोषपूर्ण था क्योंकि इसमें उत्तरदायी सरकार की कहीं पर भी मांग नहीं की गई थी। इस संबंध में विशेष बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा योजना के केवल प्रथम भाग अर्थात् सांप्रदायिक प्रबंधों को ही स्वीकार किया गया था।